

मध्य प्रदेश शासन
गृह {सामान्य} विभाग
मंत्रालय बल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक/एफ 20/5/99/दो-रूप०३०

प्राप्ति,

भोपाल, दिनांक २३ अप्रैल, 99

समस्त विभाग,
समस्त अपर मुख्य सचिव,
समस्त प्रमुख सचिव,
समस्त अपर सचिव,
समस्त विशेष कर्तव्यस्थ आधिकारी,
समस्त उप सचिव,
समस्त अवर सचिव,
मध्य प्रदेश मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल.

विषय :- मंत्रालय पूल के शासकीय दूरभाष के दुर्लयोग पर पाबंदी हेतु व्यवस्था।

—०—

शासन द्वारा निर्देश देये गये हैं कि मंत्रालय पूल के शासकीय दूरभाषों के दुर्लयोग पर पाबंदी लगाने तथा मंत्रिगण-आधिकारीगण को सुगमता से दूरभाष उपलब्ध कराये जाने के लिये निम्नांकित कार्यवाही सुनिश्चित की जाये :-

१। शासकीय दूरभाष स्थापित होते ही उसके स्थापित होने की सूचना दिनांक संहित संबंधित आधिकारी अपने हस्ताक्षर से गृह {सामान्य} विभाग को 15 दिन में देंगे। माननीय मंत्रिगण के मामले में यह सूचना उनके निज सचिव द्वारा दी जाएगी।

२। शासकीय आधिकारीयों के कार्यालय एवं निवास स्थित दूरभाष देयकों का सत्यापन स्वयं आधिकारी द्वारा किया जाएगा। माननीय मंत्रिगण के मामले में यह सत्यापन उनके निज सचिव द्वारा किया जाएगा।

३। माननीय मंत्रिगण के पद त्याग करने के साथ ही, उनके निज सचिव का यह व्याकितगत उत्तरदायत्व होगा कि वे माननीय मंत्रिगण के कार्यालय, निवास तथा विधानसभा स्थित कक्ष के समस्त देयक समय पर प्राप्त करेंगे तथा निर्धारित समय-सीमा में उन्हें सत्यापित कर,

भुगतान हेतु लेखाधिकारी मंत्रालय को भेजेगी ताकि लेखा शाखा द्वारा निर्धारित समय-सीमा में उनका भुगतान किया जा सके एवं अनावश्यक सरचार्ज के वित्तीय भार से बचा जा सके। पद त्याग करने के समय तक के देयक याद बाद में प्राप्त होते हैं, तो भी देयकों का सत्यापन करने एवं भुगतान कराने का उत्तरदायित्व संबंधित निज साँचव का होगा।

- ४४ आधिकारी के स्थानांतरण/सेवामुक्त होने पर, उनका यह व्यांकत-गत दायित्व होगा कि वे कार्यालय तथा निवास के लेस उपयोग किये गये शासकीय दूरभाष के समस्त देयक प्राप्त कर, समस्त देयकों का सत्यापन करें तथा लेखाधिकारी मंत्रालय को निर्धारित समय-सीमा के पूर्व प्रेषित कराना सुनिश्चित करें, ताकि लेखा शाखा द्वारा निर्धारित समय-सीमा में भुगतान किया जा सके एवं सरचार्ज तथा अंकनेक्षण चार्ज के अनावश्यक वित्तीय भार से बचा जा सके। स्थानांतर होने के पश्चात् याद उस अवाधि के, जैस अवाधि में आधिकारी कार्यरत रहा है, देयक प्राप्त होते हैं तो यह संबंधित याद प्राप्त नहीं होते हैं तो डुप्लीकेट प्राप्त करें और आधिकारी का स्वर्ण का उत्तरदायित्व होगा कि वे देयक सत्यापित कराकर भुगतान के हेतु लेखा शाखा, मंत्रालय में आनेवार्थ रूप से जमा करायें। आधिकारी के सेवानिवृत्त होने पर सेवानिवृत्त के पूर्व के देयक याद सेवानिवृत्त के बाद प्राप्त हुए हैं तो यह संबंधित आधिकारी के निज साँचव का दायित्व होगा कि देयक सत्यापित करें तथा लेखा शाखा, मंत्रालय में भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।

- ५५ मुन० मंत्रिगण के पदमुक्त होते ही, उनके निज साँचव का यह दायित्व होगा कि वे निवास स्थित दूरभाषों की समस्त सुविधाएँ डायनामिक लॉक करें तथा दूरभाष का उपयोग न होने दें। उपकरण दूरसंचार कार्यालय में जमा करें तथा दूरसंचार विभाग की पावती की छाया प्रांत सहित इसकी सूचना गृह औसामान्य विभाग को दें। सेवामुक्त/स्थानांतरण आधिकारी का दायित्व भी ऐसा

ही होगा । यदि उपकरण 15 दिन के अंदर जमा नहीं कराया जाता है तो उसके बदले में प्रदाय किये जाने वाले नवीन उपकरण का मूल्य संबंधित पूर्ववर्ती आधिकारी अथवा यथास्थान, माननीय मंत्री के निज सांचव के वेतन से अथवा उन्हें शासन द्वारा देय अन्य राशि से वसूल किया जा सकेगा ।

६६। ऐसे दिनांक को स्थानांतरत/सेवामुक्त आधिकारी अपना कार्यभार सौंपे, उसी दिनांक से संबंधित आधिकारी का यह व्याकृतगत उत्तरदायित्व होगा कि वे उनके कार्यालय एवं निवास में स्थापित दूरभाष का उपयोग नहीं करें तथा कार्यालय स्थित दूरभाष की समस्त सुविधाओं को डायनामिक लॉक करें और निवास के दूरभाष के मामले में भी वे डायनामिक लॉक कर दूरभाष कार्यालय से सौंधे संपर्क कर दूरभाष विच्छेद करायें । यदि ऐसा न कर, कार्यमुक्त होने के दिनांक के पश्चात् भी वे शासकीय दूरभाष का उपयोग करते हैं तो उसके देयक की संपूर्ण राशि उन्हें स्वयं वहन करनी होगी तथा उनके द्वारा भुगतान न किये जाने को स्थित में यह राशि उनके वेतन अथवा शासन द्वारा उन्हें देय अन्य राशि से वसूल की जायेगी । माननीय मंत्रिगण के मामले में यह प्रक्रिया उनके निज सांचव के लिये लागू होगी ।

६७। मंत्रालय में पदस्थ प्रत्येक आधिकारी के स्थानांतर/सेवामुक्त संबंधी आदेश की प्रांत सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा यूह $\ddot{\text{३}}$ सामान्य $\ddot{\text{३}}$ विभाग तथा लेखा शाखा $\ddot{\text{३}}$ दूरभाष कक्ष $\ddot{\text{३}}$, मंत्रालय को आनेवार्य रूप से दी जाए । स्थानांतरत आधिकारी का अंतम वेतन प्रमाण-पत्र तभी जारी किया जाए जबकि संबंधित आधिकारी संलग्न प्राप्ति में दूरभाष सुविधा विच्छेद संबंधी प्रमाण पत्र सामान्य प्रशासन विभाग में प्रस्तुत करें । सेवामुक्त आधिकारी के मामले में उनके पेंशन प्रकरण को अंतम रूप देते समय ऐसा हो प्रमाण पत्र उनसे लिया जाए । माननीय मंत्रिगण के मामले में इसी प्रकार का प्रमाण पत्र उनके निज सांचव को माननीय मंत्रिगण के पदमुक्त होने पर देना होगा, अन्यथा

// 4 //

उनके अगले माह का वेतन रोक देये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

निर्धारित आदेशानुसार

चौबी. एन. कौल

प्रमुख सचिव

२४५१६ गृह

विभाग.

पृ. क्र. /एफ 20/5/99/दो-सू ३१

भोपाल, दिनांक २३ अप्रैल, 1999

प्रतिलिपि:-

1. समस्त स्टाफ आफ्सर, निज सचिव, निज सहायक, शीघ्रलेखक, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल.
2. अवर सचिव इस्थापना सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल.
3. मध्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल.

को ओर उपर्युक्त अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु अद्वितीय।

११८८६ के दिन

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

२४५१६ गृह इसामान्य विभाग.

—X—

/ओपी/

प्रारूप

१४ माननीय प्रधानमंत्री के निज सचिवों के लिए:-

दूरभाष सुविधा विच्छेद आवेदन सह प्रसार पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि माननीय
 मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री/....., अन्य विवरण* के
 कार्यलिय कक्ष/निवास, पर दूरभाष क्रमांक..... आवौटित रहा है।
 माननीय मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री/....., अन्य विवरण*
 के दिनांक को पदमुक्त होते समय मैंने उनके निज सचिव की
 ईसियत से उपर्युक्त दूरभाष के बारे में निम्नलिखित कार्यकारियाँ पूर्ण कर
 ली हैं :-

१५ कार्यपुस्ति दिनांक..... को उपर्युक्त दूरभाष की ई.टी.डी.
 सुविधा का प्रयोग बन्द कर दिया गया है।

अथवा

कार्यपुस्ति दिनांक..... के पश्चात् इस गए ई.टी.डी.
 काल्पन की सुविधा कृपया मेरे वेतन से काट ली जाए।

१६ कार्यपुस्ति दिनांक..... तक प्राप्त उपर्युक्त दूरभाष के
 सहस्र रुपयों को सत्यापित कर भुगतान हेतु लेता राज्यमंत्रीवालय
 वो ऐसा दिन है।

१७ निजी काल्पन का सहस्र राशि ईयांदि कोई ही तोड़ा आसन के पक्ष
 में जमा कर दी है।

१८ दूरभाष का उपर्युक्त दूर संचार कार्यालय में जमा कर पावती प्राप्त
 को राहे है। उत्तराप्रति संलग्न है।

अथवा

दूरभाष का उपर्युक्त कार्यालयीन कक्ष में सुरक्षित रखा दिया गया है
 तथा राज्यमंत्री, बलभ भवन को सूचित कर दिया गया है। उत्तराप्रति
 संलग्न है।

२ कृपया उपर्युक्त दूरभाष विच्छेद करने का कष्ट करें।

भीपाल

हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

नाम.....

* यहाँ मंत्री-स्तर प्राप्त विशेष व्यक्तियों के पदनाम का उल्लेख किया जाए।

प्रारूप

११ कृ अधिकारियों के लेस :-

दूरभाष सुविधा विच्छेद आवेदन सह प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मंत्रालय में मेरी.....
.....के पद पर पदस्थापना के दौरान दूरभाष क्रमांक.....
मुझे मेरे कार्यालय कक्ष/निवास में आवंटित रहा है। स्थानांतर/सेवामुक्ति के
फलस्वरूप कार्यमुक्त होते समय मैंने अन्मनालिखित कार्यवाहियाँ पूर्ण कर दी हैं :-

१। कार्यमुक्ति दिनांक को उपर्युक्त दूरभाष को एस.टी.डी.
सुविधा का प्रयोग बन्द कर दिया गया है।

अथवा

कार्यमुक्ति दिनांक के पश्चात् केस ग्रे एस.टी.डी.
काल्स की राशि कृपया मेरे वेतन से काट ली जाए।

२। कार्यमुक्ति दिनांक तक प्राप्त उपर्युक्त दूरभाष के
समस्त दैयकों को सत्यापित कर मुगतान हेतु लेखाशाखा, मंत्रालय
को भेज दिया है।

३। निजी काल्स की समस्त राशि दूषाद कोई हो तो शासन के पक्ष
में जमा कर दी है।

४। दूरभाष का उपकरण दूरसंचार कार्यालय में जमा कर पावरी प्राप्त
की गई है दूषाया प्रोत्त संलग्न

अथवा

दूरभाष का उपकरण कार्यालयीन कक्ष में सुरक्षित रखवा दिया गया है
तथा राजस्ट्रार, वल्लभ भवन को सुचेत कर दिया गया है दूषाया-
प्रोत्त संलग्न

२। कृपया उपर्युक्त दूरभाष विच्छेद करने का कष्ट करें।

भोपाल

दिनांक.....

दस्तावेज.....

नाम.....

पदनाम.....

पता जहाँ दूरभाष स्थापित था.....